राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2026 6–ए

सरकार जरिये भगवत सिंह राणावत
उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पौ.स)
कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(विस्तार)
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

बनाम राजेन्द्र कुमार बंग पुत्र आशाराम बंग निवासी–शाहपुरा, पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (जब्तशुदा उर्वरक निस्तारण बाबत्)

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 01/04/2026

प्रार्थी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 6–ए अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् जब्तशुदा उर्वरक निस्तारण प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.12.2024 से स्वयं के अधिकारिता क्षेत्र से नियुक्त किया गया है। प्रार्थी शासन उप सचिव कृषि जयपुर के आदेश दिनांक 16.05.2025 से भीलवाडा में पदस्थापित है।दिनांक 01.07.2025 को श्रीमान् सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) गुलाबपुरा जिला भीलवाडा के आदेश 841–845 दिनांक 01/07/2025 की पालनार्थ दिनांक 01/07/2025 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित शाहपुरा में कास्तकारो को खाद के कटटो में हो रही 10 किलो घटतोली एवं श्री भगवान सिंह यादव की प्राप्त शिकायत के संबध में कय–विक्रय सहकारी समिति शाहपुरा भीलवाडा का निरक्षण करने पहुंचे। निरक्षण के दौरान भगवत सिहं राणावत कृषि अधिकारी (पौ. सं.), प्रभु लाल जाट कृषि अधिकारी (फसल), शंकर लाल बैरवा मेनेजर मुख्य ब्रान्च शाहपुरा, प्रवीण कुमार जावलिया एवं दिपक कुमार कोली सहायक कृषि अधिकारी शाहपुरा मौजुद रहे एवं निरिक्षण किया। मौके पर कय–विक्रय सहकारी समिति शाहपुरा के व्यवस्थापक श्री राजेन्द्र कुमार बंग पुत्र श्री आशाराम बंग से फर्म का अनुज्ञापत्र मांगा जो की अनुज्ञापत्र 267 दिनांक 29/03/2024 तक वैध था। टीम द्वारा फर्म के व्यवस्थापक से नया अनुज्ञापत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया। कृषक श्री भगवान सिंह यादव की शिकायत थी की फर्म द्वारा बायो – गोल्ड (दानेदार जमीन सुधाकर) कम्पनी नर्मदा बायो–कैम प्रा. लि. अहमदाबाद बेचा गया जिसका नेट वेट 50 किलो था पर फर्म द्वारा

1-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

40–42 किलो की पैकिंग में ही बेचा जा रहा था। साथ ही श्री राजेन्द्र कुमार बंग द्वारा उक्त बायो–गोल्ड की निर्धारित मुल्य 775 रुपये / बेग के स्थान पर 800 रुपये/ बेग बेचा जा रहा था। फर्म का निरिक्षण करने पर पाया कि फर्म के पास वैध अनुज्ञापत्र पत्र नहीं होने के बाद भी फर्म द्वारा निम्नांकित उर्वरको का विक्रय किया जा रहा है। 1-City compost(organic manure) 245 bags, 2- Bharat Neem coated urea 300 bags and Nano Urea की 360 बोत्तल पाई गई। यह विक्रेता द्वारा अवैध तरीके से उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपतित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7. 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। गोदाम में पडे उक्त खाद उर्वरक का लाईसेंस नही होने के कारण युरीया सीटी कम्पोस्ट, एवं नेनो युरीया, में से सीटी कम्पोस्ट का बील बाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया जाने एव कोई उचित संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 7 एवं 8 का स्पष्ट उलंग्न किया गया । उपलब्ध स्टोक में से प्रावधान के अनुरूप नमूना आफलाईन आहरित किया गया जिसे उच्च अधिकारीयो के निर्देशन में विश्लेषण हेतू अधिसुचित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया । बिना अनुज्ञापत्र यह भण्डारण एंव विक्रय करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंन हैं। जिसको एफ. सी. ओ –1985 के क्लोज 28 (1) (D) के तहत उर्वरको को जब्त करके जब्त उर्वरक की सुपुर्दगी श्री प्रथ्वीराज पिता जयकिशन जाति जाट सेल्समेन कय–विक्रय सहकारी समिती शाहपुरा मुख्य शाखा को युरिया के **300 बेग, सीटी कम्पोस्ट के 245 बेग, एंव नेनौ युरिया की 360** बोतल सुपुर्द किया गया। आवश्यक प्रपत्र तैयार कर वैधानिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखे गये। विक्रेता कय–विक्रय सहकारी समिती शाहपुरा द्वारा अवैध तरीके से उर्वरक का कारोबार किया जाना एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) के क्लॉज 7, 9, 11, 19 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उर्वरक की गुणवत्ता परीक्षण के लिए नियमानुसार कय–विक्रय सहकारी समिति शाहपुरा से श्री राजेन्द्र कुमार बगं की मौजूदगी में 3 नमूना आहरित कर अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाये गये। उर्वरक आवश्यक वस्तु होने के कारण उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लॉज 28 (3) के प्रावधानानुसार कार्यालय पत्राक 884–87 दिनांक 02.07.2025 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अवगत कराया गया। अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार नीम लेपित युरिया उर्वरक मानक पाया गया। इस प्रकार अवैध तरीके से बिना अनुज्ञापत्र उर्वरकों का विक्रय एवं भण्डारण किया जाना उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लॉज 7, 9, 11. 19 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः उर्वरक एक आवश्यक वस्तु होने के कारण जब्तशुदा उर्वरक का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अन्तर्गत राजसात किये जाने का आदेश फरमायें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए गए। विपक्षीगण द्वौराने बहस दिनांक 25.03.2026 स्वयं उपस्थित, स्वास्थ्य कारणों से अवगत कराया गया कि प्रथम गलती है, भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी,

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

1-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में क्षमा फरमावें। दौराने बहस विभागीय पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए जब्तशुदा उर्वरक का राजसात किए जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की दलीलों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया है कि जब्तशुदा उर्वरक 1-City compost(organic manure) 245 bags, 2- Bharat Neem coated urea 300 bags and Nano Urea की 360 बोत्तल, को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा उर्वरक/सामग्री 1-City compost(organic manure) 245 bags, 2- Bharat Neem coated urea 300 bags and Nano Urea की 360 बोत्तल, को राजसात(Confiscate) किए जाने के आदेश पारित किए जाते है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार गुलाबपुरा को संबंधित स्थान से उक्त जब्तशुदा उर्वरक/सामग्री विधिवत प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि को राजकोष के संबंधित मद में जमा करायी जाने की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा